न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 219 /2021

2021/515

वादी :–

रामाराम पुत्र पाबुराम

जाति जाट निवासी जागसा रतिनाडा

मूल निवासी खारियाकुई

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

राज्य सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री स्वयं स्वंय वादी।

2..श्री स्वयं प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 25.11.21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 788, 800 रकबा 40-04, 22-13 बीघा, सरहद मौजा रतिनाडा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम रामा होने से राजस्व रेकर्ड में रामा दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी की नाम ... रामाराम पुत्र पाबुराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान तथा अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज रामा पुत्र पाबुराम के स्थान पर रामाराम पुत्र पाबुराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:46 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम रामा पुत्र पदमा के स्थान पर रामाराम पुत्र पाबूराम .... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच .... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 788, 800 रकबा 48-04, 22-13 ...... बीघा, सरहद मौजा .... तहसील पचपदरा वादी का नाम ~~बचपन में~~ ~~लाड–प्यार का नाम~~ रामा पुत्र पदमा दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~रामसीन~~ एवं तहसीलदार .... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के ~~बचपन का~~ नाम रामा पुत्र पदमा दर्ज किया गया है वादी का सही नाम रामाराम पुत्र पाबूराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 788 व 800 रकबा 48-04, 22-13 बीघा, सरहद मौजा ~~...........~~ ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम रामाराम पुत्र पाबूराम ... के स्थान पर रामाराम पुत्र पाबूराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25-11-21 .... को कोर्ट कैम्प कोर्ट .... **में मजमे आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:46 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट.......सुरपुरा का डागा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
रामाराम पुत्र पसुराम जाति जाट निवासी खारिया खुर्द हाल निवासी रतिनावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर	राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......स्वयं.......
..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ......स्वयं...... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ......708, 800...... रकबा ......48-04, 22-13 बीघा, सरहद मौजा ......रतिनावास......
....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......रामा...... पुत्र ......पेमा...... के स्थान पर ......रामाराम...... पुत्र ......पसुराम...... खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-11-2021 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:46 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		